

परिशिष्ट-दो
प्रपत्र-2
कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर (बे0)/15-क/1538-43 /मान्यता/2020-21/ दिनांक 26 जुलाई, 2021

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, तालाब,
रायपुर, देहरादून।

विषय :-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनियम (6)
के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदय,

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, तालाब, रायपुर, देहरादून को प्री प्राइमरी से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 05 वर्षों के लिए मान्यता दिनांक 01.08.2021 से 31.07.2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी :-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे-
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करे की आवश्यकता नहीं होगी;
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;
(छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
(सात) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा-

- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
- कुल निर्मित क्षेत्र;
- खेल के मैदान का क्षेत्र;
- कक्षा-कक्षाओं की कुल संख्या;
- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्षा;
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
- पेयजल की सुविधा;
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
- बाधा रहित रास्ता;

Dr. Mrs. RAJESH ARORA
Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Talab, Dehradun
Affn.No 3530063, School No.81077

- शिक्षण अधिगम साग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
 - 11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
 - 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
 - 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
 - 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
 - 15. लेखा का अंकेषा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
 - 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1250 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 - 17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
 - 18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
 - 19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
 - 20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
 - 21. अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता तीन/पांच वर्ष के लिए की गयी है, उक्त अवधि समाप्त होने से पांच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा।
- औपबन्धिक मान्यता का कारण-भूमि अभिलेख विद्यालय के नाम रजिस्ट्रार नहीं है।

भवदीय

ह0/-

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

/मान्यता/2020-21 तददिनांक।

पृ0सं0: शिविर(बे0)/15-क/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएँ विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

(आर0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
देहरादून।

Dr. Mrs. RAJESH ARORA
Principal
Shri Guru Ram Rai Public School
Talab, Dehradun
Affn No 3530063, School No 81077

V Rawal
Authorised Signatory
of Manager
SGRR EDUCATION MISSION, DEHRADUN



Shri Guru Ram Rai Public School

Affiliated to Central Board of Secondary Education, New Delhi)

(Affiliation No. 3530063, School No. 8984)

TALAB, DEHRADUN - 248 001 (UTTARAKHAND)

☎: Telefax : (0135) 2628799, 2624724, E-mail : sgrrtalab1@gmail.com

दिनांक: 30/07/2026

सेवा में,
श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद देहरादून,
मयूर विहार, देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय :- आर0टी0ई0 की मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन।

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में वर्णित मानक एवं मानदण्डों के आलोक में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल तालाब, देहरादून द्वारा आर0टी0ई0 की मान्यता नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किया गया था। जिसकी हार्ड प्रति विद्यालय प्रबन्धन के प्रतिहस्ताक्षरित कर आवश्यक संलग्नकों सहित आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

सधन्यवाद।

भवदीय

(डा० श्रीमती सजिष अरोड़ा)

प्रधानाचार्या

Principal
SGRR Public School
Talab, Dehra Dun

संलग्नकों का विवरण:

1. शपथ पत्र समस्त कागजों का
2. स्वघोषण प्रपत्र
3. आर0टी0ई0 की मान्यता का पत्र
4. आर0टी0ई0 बच्चों की लिस्ट
5. तीन साल की स्कूल बैलेंस सीट
6. ऑन लाईन आवेदित फार्म की हार्ड प्रति।
7. विद्यालय भूमि का स्थाई लीज-डीड की प्रति।
8. तहसील द्वारा जारी विद्यालय भूमि की भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
9. विद्यालय भूमि का खसरा संख्या की प्रति।
10. विद्यालय का साइट मानचित्र की प्रति।
11. विद्यालय का ले0 आउट प्लान।
12. सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
13. ई0पी0एफ0 चालान की प्रति।
14. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची।
15. प्रयोगशाला में उपलब्ध सामग्री की सूची।
16. शिक्षा के अधिकार के नियमों के पालन हेतु शपथ पत्र मूल रूप में।
17. नॉन प्रापराइटरी एफिडेविट मूल रूप में।
18. शिक्षा का अधिकार के तहत फी एजुकेशन हेतु शपथ पत्र मूल रूप में।
19. शुल्क वृद्धि न करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में।
20. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
21. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी शुद्ध पेयजल का प्रमाण पत्र।
22. साफ सफाई हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वच्छता का प्रमाण पत्र।
23. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र।



Department of Elementary Education
Govt. of Uttarakhand



Status for Application ID - 138041 is Pending As On 13-07-2026 10:06:21

Application ID	138041
Application Date	2026-03-19 11:20:38
Applicant Details	
IUID : 66954629	First Name of Registered User : SHRI GURU RAM RAI EDUCATION MISSION MANAGING COMMITTEE
Middle Name of Registered User :	Last Name of Registered User :
Mobile No. of Registered User : 7895663367	Email of Registered User : sgrr.tb@gmail.com
Previous Registration Number : 323/1952-1953	
School Details	
Name of School : SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL TALAB DEHRADUN	District: Dehradun
Academic Session: 2026-2027	Tehsil: Dehradun
Village:	Block of Unit: RAIPUR
Address : JHANDA MOHALLA DEHRADUN	Pincode : 2428001
Mobile Number : 9997907575	Land Line Number : 01352628799
Email : sgrr.tb@gmail.com	Fax Number :
Nearest Police Station : KHURBURA DEHRADUN	
General Information	
Year of Establishment of school : 01/04/1967	Date of Commencement of School: 01/04/1967
Name of Society/Trust : SHRI GURU RAM RAI EDUCATION MISSION	Registration Number : UK06003122020005480
Valid Upto: 10/10/2030	
Manager Details	
Manager First Name : DEVENDRA DASS	Manager Middle Name :
Manager Last Name :	Mobile Number of Manager :